बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,

"खाद्य भवन", दारोगा प्रसाद राय पथ, आर0 ब्लॉक, रोड नं0-2, पटना-800001

कार्यालय आदेश

जिला प्रबंधक,कटिहार के द्वारा दिनांक-05.01.18 को राज्य खाद्य निगम, कटिहार के तीनगछिया कैम्पस स्थित कटिहार टी0पी0डी0एस0 गोदाम के चारों भंडार केन्द्रों 1.तीनगछिया 5000 मे0 टन 2. तीनगछिया 2000 मे0 टन 3. तीनगछिया बाजार समिति 500 मे0 टन एवं 4. तीन गछिया बाजार समिति 500 मे0 टन का औचक निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण में गोदामों में कुल 21741क्वी0 खाद्यान्न कम पाया गया। संबंधित सहायक प्रबंधक श्री नील अरूण विश्वास द्वारा जॉच के दौरान खाद्यान्न से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। जिला प्रबंधक,कटिहार के द्वारा अपने पत्रांक-51 दिनांक-12.01.18 से निगम मुख्यालय पटना से अग्रेतर कार्रवाई हेतु मार्गदर्शन मांगा गया एवं पत्रांक-76 दिनांक-19.01.18 से श्री विश्वास के विरूद्ध खाद्यान्न गबन के लिए नगर थाना कटिहार में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

प्राप्त सूचना के आलोक में निगम मुख्यालय, पटना द्वारा पत्रांक-407 दिनांक-13.01.18 से जिला पदाधिकारी, कटिहार को अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टीम गठित कर कटिहार स्थित तीनगछिया एवं बाजार समिति गोदामों का शतप्रतिशत भौतिक सत्यापन एवं अभिलेखों की जॉच कराकर खाद्यान्नों के क्षति/गबन का आकलन करते हुए दोषी व्यक्तियों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया।

जिला पदाधिकारी,कटिहार से प्राप्त प्रतिवेदन में उक्त चारों गोदामों में निम्न प्रकार से खाद्यान्न की उपलब्धता प्रतिवेदित है:-

गोदाम	चावल बैग की संख्या	चावल की मात्रा (क्वी में)	गेहूँ बैग की संख्या	गेहूँ की मात्रा (क्वी में)	कुल खाद्यान्न बैग की सं0	कुल खाद्यान्न की मात्रा (क्वी में)
तीन गछिया गोदाम (5000 मे0टन)	20586	10293.00	27384	13692.00	47970	23985.00
तीन गछिया गोदाम(2000 मे0टन)	15628	7814.00	14606	7303.00	30234	15117.00
तीन गछिया बाजार समिति गोदाम-1 (500 मे0टन)	0	0.00	2192	1096.00	2192	1096.00
तीन गछिया बाजार समिति गोदाम-2 (500 मे0टन)	669	334.50	0	0.00	669	334.5.00
कुल	36883	18441.50	44182	22091.00	81065	40532.50

प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार तीनगछिया एवं बाजार समिति अवस्थित टी0पी0डी0एस0 गोदामों का स्टॉक निम्न प्रकार होना चाहिए था-

चावल बैग की संख्या	चावल की मात्रा(क्वी में)	गेहूँ बैग की संख्या	गेहूँ की मात्रा(क्वी में)	कुल खाद्यान्न बैग की सं0	कुल खाद्यान्न की मात्रा(क्वी में)
63946	31973.00	60600	30300.00	124546	62273.00

जिला पदाधिकारी,कटिहार से प्राप्त प्रतिवेदन से पाया गया कि श्री नील अरूण विश्वास द्वारा निम्न प्रकार खाद्यान्न का गबन कर निगम को भारी आर्थिक क्षति पहूँचायी गयी है-

क्रमांक	खाद्यान्न का प्रकार	मात्रा(क्वी में)	सन्निहित मूल्य(रू0 में)
1	चावल	13532	44171560.00
2	गेहूँ	8209	19772772.00
	कुल गबन	21741	63944332.00

श्री विश्वास के द्वारा राज्य खाद्य निगम,कटिहार पदस्थापन अवधि में बाजार समिति एवं तीनगछिया अवस्थित टी0पी0डी0एस0 गोदामों में षड्यंत्र पूर्वक कुल मूल्य 6,39,44,332.00/-(छः करोड़ उन्नचालीस लाख चौवालीस हजार तीन सौ बत्तीस)रू0का अनुदानित खाद्यान्न के गबन/कालाबाजारी एवं कार्यो में लापरवाही, शिथिलता संबंधित आरोप के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के Service Conduct and Disciplinary Rules 2001 के Rule 24 के तहत निगम मुख्यालय आदेश ज्ञापांक-894 दिनांक-25.01.2018 से तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय राज्य खाद्य निगम, सीवान निर्धारित किया गया।

निगम मुख्यालय ज्ञापांक-2810 दिनांक-20.03.2018 के द्वारा श्री विश्वास के विरूद्ध अनुदानित खाद्यानों की कालाबाजारी/गबन के लिए आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्रवाई संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी–सह–उप महाप्रबंधक,जन वितरण द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन/अधिगम में श्री नील अरूण विश्वास के द्वारा तीन गछिया एवं तीन गछिया बाजार समिति के टी0पी0डी0एस0 गोदामों से 13532.00 क्वी0 चावल एवं 8209.00 क्वी0 गेहूँ कुल 21741.00 क्वी0 खाद्यान्न जिसका मूल्य 6,39,44,332.00/–रु0 निजी हित में गबन करने संबंधित आरोप को प्रमाणित पाया गया।

प्राप्त अधिगम में श्री विश्वास के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाया गया एवं नैसर्गिक न्याय के तहत अधिगम की छाया प्रति निगम मुख्यालय पत्रांक–10114 दिनांक–28.09.2018 के द्वारा श्री नील अरूण विश्वास को उपलब्ध कराते हुए द्वितीय बचाव पत्र एक पक्ष के अंदर समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। श्री विश्वास द्वारा निगम मुख्यालय, पटना में दिनांक–12.10.2018 को अभ्यावेदन समर्पित कर अस्वस्थता के कारण 30 दिनों का अतिरिक्त समय देने हेतु अनुरोध किया गया। श्री विश्वास के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में मुख्यालय पत्रांक–11553 दिनांक–10.11.2018 के द्वारा दिनांक–12.10.2018 से एक माह तक का समय देते हुए द्वितीय बचाव पत्र समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया परन्तु श्री विश्वास से द्वितीय बचाव पत्र अप्राप्त रहने की स्थिति में पुनः मुख्यालय ज्ञापांक–12327 दिनांक–03.12.2018 के द्वारा निबंधित डाक से उनके गृह पता पर दिनांक–08.12.2018 तक बचाव पत्र समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया, परन्तु श्री विश्वास के द्वारा द्वितीय बचाव पत्र समर्पित नहीं किया गया।

श्री विश्वास के द्वारा परीक्ष्यमान अवधि में ही इतनी भारी मात्रा में खाद्यान्न गबन कर निगम को आर्थिक क्षति पहूँचायी गयी है एवं सरकार के अत्यन्त महत्वपूर्ण खाद्यान्न सुरक्षा योजना को बाधित करने का प्रयास किया गया है तथा सक्षम प्राधिकार के निदेश की अवहेलना कर द्वितीय बचाव पत्र समर्पित नहीं किया जाना, इनके स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता है। गोदाम का ताला चाबी चूँकि श्री विश्वास के पास था इस प्रकार गोदाम में गबन के लिए वे पूर्णरूपेण जिम्मेवार है।

अतः सम्यक समीक्षोपरान्त वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री विश्वास द्वारा निजी हित में परिवहन अभिकर्ता, लेवर मेट श्री शंभू सरदार तदाकथित मुंशी श्री सुनील कुमार, श्री जितेन्द्र कुमार,श्री कृष्णा कुमार,श्री दीप नारायण भगत,श्री राजीव कुमार(डोर स्टेप डिलेवरी अभिकर्ता) जन वितरण अभिकर्ता श्री दीना गुप्ता,श्री दिनेश कुमार, श्री राकेश गुप्ता खाद्यान्न विक्रेता श्री पुष्कर कुमार एवं चालकों से साँठ–गाँठ कर खाद्यान्न का गबन कर निगम को 6,39,44,332.00/–रु0(छः करोड़ उनचालीस लाख चौयालीस हजार तीन सौ बत्तीस) रुपये का भारी आर्थिक क्षति पहूँचाने संबंधित प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के Service Conduct and Disciplinary Rules 2001 में वर्णित प्रावधान के आलोक में श्री नील अरूण विश्वास, तत्कालीन सहायक प्रबंधक(नि0) कटिहार सम्प्रति सीवान के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्रवाई को समाप्त करते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता है–

1. श्री नील अरूण विश्वास, तत्कालीन सहायक प्रबंधक(नि0) कटिहार सम्प्रति सीवान को तत्कालिक प्रभाव से निगम के Service Conduct and Disciplinary Rules 2001 के Rule 27 (IV) की धारा के आलोक में सेवा से बर्खास्त किया जाता है।
2. श्री विश्वास के विरूद्ध प्रमाणित गबन की राशि 6,39,44,332.00/–(छः करोड़ उन्नचालीस लाख चौवालीस हजार तीन सौ बत्तीस)रु0 व्याज सहित बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन वसूलनीय होगी।
3. श्री विश्वास को निलंबन अवधि में जीवनयापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

15/12/2018
प्रबन्ध निदेशक।

ज्ञापांकः–08:05:01:01:18:– 12894 दिनांकः– 15/12/18

प्रतिलिपिः–श्री नील अरूण विश्वास,तत्कालीन सहायक प्रबंधक(नि0),कटिहार सम्प्रति सीवान पिता–अरूण कुमार विश्वास, निवास स्टेशन रोड दुर्गावती, पो0+थाना–दुर्गावती,कैमूर बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

15/12/2018
प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांकः–08:05:01:01:18:– दिनांकः–

प्रतिलिपिः–जिला प्रबंधक,सीवान/कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि उपर्युक्त दण्डादेश की प्रविष्टि श्री नील अरूण विश्वास के सेवापुस्त में अंकित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराये।

जिला प्रबंधक,कटिहार को निदेश दिया जाता है कि वसूलनीय राशि का व्याज सहित निलामपत्र वाद दायर करना सुनिश्चित करेंगे।

15/12/2018
प्रबन्ध निदेशक।

ज्ञापांकः–08:05:01:01:18:– 12894
दिनांकः– 15/12/18

प्रतिलिपिः–सभी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/सतर्कता पदाधिकारी/विपत्र लिपिक, निगम मुख्यालय,पटना एवं सभी जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

15/12/2018
प्रबन्ध निदेशक।

ज्ञापांकः–08:05:01:01:18:– 12894 दिनांकः– 15/12/18

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

15/12/2018
प्रबन्ध निदेशक।

ज्ञापांकः–08:05:01:01:18:– 12894 दिनांकः– 15/12/18

प्रतिलिपिः–सचिव,खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग,बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

15/12/2018
प्रबन्ध निदेशक।